अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... कोटा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 1/2022 दायरा दिनांक : 08.03.2022

उनवान

मांगीबाई आयु 55 वर्ष पुत्री पन्नालाल पत्नी दुर्गालाल, जाति काछी, निवासी कुण्डी, तहसील अटरू हाल मुकाम कछावन, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– बादाम बाई आयु 52 वर्ष पुत्री पन्नालाल पत्नी चौथमल, जाति काछी, निवासी कुण्डी, तहसील अटरू, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2000 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिससे वाद संख्या – 04/2011 वास्ते वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53 को खारिज किया गया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

निर्णय दिनांक : 30.01.2023

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 यह कि ग्राम एवं माल कूण्डी, तहसील अटरू में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2063–2066 के अनुसार खाता संख्या 279 की खसरा नम्बर 508 रकबा 0.37 हेक्टर भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता पन्ना पुत्र माधो, जाति काछी के खाते दर्ज चली आ रही थी।

3 यह कि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 दोनों सगी बहिने हैं तथा पन्नालाल जी की संताने हैं। वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता पन्नालाल जी का स्वर्गवास दिनांक 18.12.2009 को हो चुका है। वादिनी ने दिनांक 13.12.2010 को ग्राम कूण्डी में लगे शिविर में पन्नालाल के स्थान पर वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 का नामान्तरकरण दर्ज करने के लिए निवेदन किया गया था, लेकिन पटवारी हल्का ने प्रतिवादी कम 1 से षडयन्त्र रचकर मृतक पन्नालाल के स्थान पर वादिनी का नाम वारिस एवं विधिक प्रतिनिधि होते हुए भी दर्ज नहीं किया तथा प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में इन्तकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 को दर्ज कर दिया।

4 यह कि पटवारी हल्का ने प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया है, जो निम्न आधार पर अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है–

(क) पटवारी हल्का द्वारा वसीयत की जांच किये बगैर इंतकाल दर्ज किया है।

(ख) वसीयत का निष्पादनकर्ता वृद्ध था तथा कानों से कम सुनाई देता था व आंखों से कम दिखाई देता था। निष्पादनकर्ता ने

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधिकारी एवं पदेन ... कोटा

वसीयत को अपने कथनानुसार टाईप नहीं करवाया था। टंकणकर्ता के वसीयतनामे पर नाम अंकित नहीं है।

(ग) पटवारी हल्का ने वसीयत के आधार पर बिना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के नामान्तरकरण दर्ज किया है।

(घ) प्रतिवादी क्रम 1 ने पन्नालाल की मृत्यु दिनांक 18.12.2009 को हो जाने के पश्चात् से दिनांक 13.12.2010 तक वसीयत के बारे में कभी समाज व गांव को नहीं बताया।

(ङ) वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा फर्जी वसीयत तैयार कर अपने पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करवाया है जो अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित होने योग्य है।

5 यह कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादिनी मृतक पन्नालाल के विधिक वारिसान होने से मृतक पन्नालाल के स्थान पर 1/2 हिस्से की खातेदार दर्ज होने की अधिकारिणी है तथा प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में खोले गये इंतकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 को वादिनी के हिस्से 1/2 तक अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने की अधिकारिणी है। वादिनी अपने हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा करवाकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

6 यह कि प्रतिवादी क्रम 1 वादिनी को अपने अधिकारों से वंचित करने की गरज से वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं रहन, बेचान करने पर आमादा है। इसलिए श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किये बिना तथा नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किये बिना वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) सी. पी. सी. का अलग से

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद श्रीमान् की सेवा में पेश है। यदि नोटिस की अवधि समाप्ति का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी कम 1 अपने अवैध कृत्य में सफल हो जावेगे, जिससे वादिनी को अनेकानेक विवादों में उलझना पड़ेगा।

7 यह कि प्रतिवादी कम 2 राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से उसे राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू को पक्षकार बनाया गया है।

8 यह कि वाद कारण दिनांक 13.12.2010 को प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में इंतकाल नामान्तरकरण दर्ज कर दिये जाने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।

9 यह कि विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कूण्डी में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

10 अतः अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई जावे कि –

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में वादिनी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादिनी के हिस्से तक इंतकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादिनी के हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाया जावे।

(ब) प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि को कहीं रहन व बेचान नहीं करें।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

11 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

12 पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षित में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि ग्राम एवं माल कूण्डी, तहसील अटरू में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2063–2066 के अनुसार खाता संख्या 279 की खसरा नम्बर 508 रकबा 0.37 हेक्टर भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता पन्ना पुत्र माधो, जाति काछी के खाते दर्ज चली आ रही थी।

13 वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 दोनों सगी बहिने हैं तथा पन्नालाल जी की संताने हैं। वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता पन्नालाल जी का स्वर्गवास दिनांक 18.12.2009 को ग्राम कूण्डी में लगे शिविर में पन्नालाल के स्थान पर वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 का नामान्तरकरण दर्ज करने के लिए निवेदन किया गया था लेकिन पटवारी हल्का ने प्रतिवादी कम 1 से षडयन्त्र रचकर मृतक पन्नालाल के स्थान पर वादिनी का नाम वारिस एवं विधिक प्रतिनिधि होते हुए भी दर्ज नहीं किया तथा प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में इन्तकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 को दर्ज कर दिया।

14 पटवारी हल्का ने प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया है। जो निम्न आधार पर अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है–

(क) पटवारी हल्का द्वारा वसीयत की जांच किये बगैर इंतकाल दर्ज किया है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

(ख) वसीयत का निष्पादनकर्ता वृद्ध था तथा कानों से कम सुनाई देता था व आंखों से कम दिखाई देता था। निष्पादनकर्ता ने वसीयत को अपने कथनानुसार टाईप नहीं करवाया था। टंकणकर्ता के वसीयतनामे पर नाम अंकित नहीं है।

(ग) पटवारी हल्का ने वसीयत के आधार पर बिना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के नामान्तरकरण दर्ज किया है।

(घ) प्रतिवादी कम 1 ने पन्नालाल की मृत्यु दिनांक 18.12.2009 को हो जाने के पश्चात् से दिनांक 13.12.2010 तक वसीयत के बारे में कभी समाज व गांव को नहीं बताया।

(ङ) वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। प्रतिवादी कम 1 द्वारा फर्जी वसीयत तैयार कर अपने पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करवाया है, जो अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित होने योग्य है।

15 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादिनी मृतक पन्नालाल के विधिक वारिसान होने से मृतक पन्नालाल के स्थान पर 1/2 हिस्से की खातेदार दर्ज होने की अधिकारिणी है तथा प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में खोले गये इंतकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 को वादिनी के हिस्से 1/2 तक अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने की अधिकारिणी है। वादिनी अपने हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा करवाकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

16 प्रतिवादी कम 1 वादिनी को अपने अधिकारों से वंचित करने की गरज से वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं रहन, बेचान करने पर आमादा है। इसलिए श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सी.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

कर वाद श्रीमान् की सेवा में पेश है। यदि नोटिस की अवधि समाप्ति का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी कम 1 अपने अवैध कृत्य में सफल हो जावेगे, जिससे वादिनी को अनेकानेक विवादों में उलझना पड़ेगा।

17 प्रतिवादी कम 2 राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से उसे राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू को पक्षकार बनाया गया है।

18 वाद कारण दिनांक 13.12.2010 को प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में इंतकाल नामान्तरकरण दर्ज कर दिये जाने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।

19 विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कूण्डी में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

20 वाद राजस्थान टीनेन्टी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

21 अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित की जावे कि –

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में वादिनी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादिनी के हिस्से तक इंतकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादिनी के हिस्सेनुसार बंटवारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि को कहीं रहन व बेचान नहीं करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादिनी को प्रदान की जावे।

22 रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं. 1 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 में वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 बहिने होना व पिता का स्वर्गवास होना स्वीकार है, शेष विवरण अस्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में खोला गया इन्तकाल नं. 864 सही दर्ज किया गया है। वाद पत्र की मद नं. 3 का विवरण अस्वीकार है एवं मद नं. 3 की उप मद नं. 1 लगायत 5 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 4 का विवरण गलत लिखा होने से अस्वीकार है। वादिया अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद नं. 5 का विवरण गलत लिखा होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 10 अस्वीकार है। अनुतोष वादिया अ, ब, स अस्वीकार है।

23 विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र –

24 वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता पन्नालाल के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सदैव से प्रतिवादी क्रम 1 के पास रहे तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पिता पन्नालाल की सेवा सुश्रषा की लगभग 20 वर्षों तक प्रतिवादिया ने पिता की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर पिता पन्नालाल

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

ने अपने जीवनकाल में गांव के मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष वसीयत लिखी थी, जो पूर्ण होश हवास में की थी। पिता की मृत्यु के पश्चात् उनका अन्तिम संस्कार एवं कियाकर्म भी प्रतिवादिया एवं उसके पति द्वारा किया गया था। वादिया पिता के जीवनकाल में कभी भी न तो मिलने आई, न ही कोई सेवा की, अब पिता की मृत्यु के पश्चात् जमीन लेने के लिए वाद पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में खोला गया इन्तकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 पूरी जांच पड़ताल करके गांव वालों से पूछताछ करके खोला गया है, जो वैध एवं कानून सम्मत है, जिसे चेलेन्ज करने का वादिया को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादिया कम 1 वादिया को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी है कि वह प्रतिवादी कम 1 को उसके कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही ऐसा कृत्यु अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें। इस हेतु यह प्रतिवाद पेश किया गया है।

25 अतः माननीय न्यायालय में जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिया का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादिया कम 1 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादिया को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रतिवादी कम 1 को उसके कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें, न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें। प्रतिवादी कम 2 द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र का चरण संख्या 1 जिस प्रकार से लिखा गया है उस रूप में स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का चरण संख्या 2 अस्वीकार है। नामान्तरकरण संख्या 864 शिविर प्रशासन गांव की ओर अभियान में मजमें आम में बाद जांच ग्रामवासियों द्वारा बताए गये

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

तथ्य तथा मृतक खातेदार द्वारा की गई अपनी अंतिम इच्छा पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार ही नामान्तरकरण संख्या 864 ग्राम कुण्डी में दर्ज किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.12.2010 को जारी आदेश की पालना में नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। वाद पत्र का चरण संख्या 3 अस्वीकार है। पटवारी हल्का द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने में कोई भूल नहीं की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी सर्कुलर की पालना में अनरजिस्टर्ड वसीयत पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के अधिकारी है। सर्कुलर की प्रति बहस पेश कर दी जावेगी।

1 पटवार हल्का द्वारा आदेश की पालना में इंतकाल दर्ज किया गया है। आदेश पारित करने के पूर्व मजमे आम में उपस्थित शिविर प्रभारी अधिकारी महोदय, श्रीमान् तहसीलदार सा0 सरपंच सा0 ग्राम पंचायत कुण्डी की उपस्थिति में जांच की जा चुकी है।

2 वसीयत पत्र का न तो पंजीयन कराया जाना आवश्यक है तथा न ही उसे टंकण कराया जाना आवश्यक है।

3 पटवारी हल्का द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश पर ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है।

4 प्रतिवादी क्रम 1 ने पन्नालाल की मृत्यु दिनांक 18.12.2009 को हो जाने के दिनांक 13.12.2010 तक वादी की बहिन बादामबाई से उसके घर पर जाकर कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई, ऐसे तथ्य भी शिविर में सामने आए।

5 पैरा नं. 3 (5) अस्वीकार है

6 यह चरण अस्वीकार है।

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

7 यह चरण अस्वीकार है।

8 चरण का सम्बन्ध माननीय न्यायालय से है।

9 यह चरण अस्वीकार है।

10 यह चरण अस्वीकार है।

26 जवाब उल जवाब –

27 वादिया द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। जवाबदावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 2 में वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता पन्नालाल जी का स्वर्गवास दिनांक 18.12.2009 को होना तथा दिनांक 13.12.2010 को ग्राम कुण्डी में लगे शिविर में वादिया एवं प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में इंतकाल के लिए निवेदन करने वाले तथ्य गलत रूप से अस्वीकार किये हैं तथा इंतकाल नं. 864 गलत दर्ज किया है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 3 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 4 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 5 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 6 कानूनी होना स्वीकार है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 7 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 8 कानूनी होने से स्वीकार है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 9 कानूनी होना स्वीकार है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 10 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं. 11 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की मद

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

नं. 1 में वर्णित तथ्य वादिया एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता पन्ना लाल के कोई पुत्र नहीं होना स्वीकार है। शेष विवरण गलत लिखा होने से स्वीकार नहीं है। जवाबदावा एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं. 2 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं. 3 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना प्रतिवादी स्वीकार नहीं है।

28 विशेष कथन –

29 प्रतिवादी कम 1 ने अपने जवाबदावा एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं. 1 में प्रतिवादी कम 1 ने अंकित किया है कि पन्नालाल ने अपने जीवनकाल में गांव में मोतबीरान व्यक्तियों के समक्ष वसीयत लिखी थी, जबकि वसीयत टाईपशुदा है, हाथ की लिखी हुई नहीं है, वसीयत अनरजिस्टर्ड है। इकरारनामे के स्टाम्प पर प्रतिवादी कम 1 ने सम्पत्ति को हड़पने की गरज से स्वयं द्वारा इकरारनामे के स्टाम्प पर वसीयत टाईप करवाकर फर्जी निशानी अंगूठा लगाकर इंतकाल खुलवाया है, जो निरस्त होने योग्य है। बिना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किये पटवारी हल्का को अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इंतकाल खोलने का अधिकार नहीं होते हुए भी पटवारी हल्का ने षडयंत्र रचकर मिली भगत करके इंतकाल खोला है, जो निरस्त होने योग्य है।

30 अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी कम 1 का प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जाकर वादी का वाद स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

31 दावे व जवाबदावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई –

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
...न राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

एवं पदेन राजस्व ... कोटा

32 तनकी संख्या 1— आया वादनी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादनी के पक्ष में खोले गये इन्तकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 की वाद पत्र की मद नं. 3 के अनुसार अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाकर वादिया 1/2 हिस्से की खातेदार कृषक घोषित होकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बंटवारा करवाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारी है।

वादनी

33 तनकी संख्या 2— आया जवाबदावे एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं. 1 का वाद पर क्या प्रभाव है।

प्रतिवादनी

34 तनकी संख्या 3— दादरसी ।

35 साक्ष्य वादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू. 1 व 2 का शपथ पत्र पेश किया। रेकार्ड प्रदर्शित किया तथा अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा जिरह की साक्ष्य प्रतिवादी के तहत पी.डब्ल्यू. 1 व 2 का शपथ पत्र पेश किया तथा अभिभाषक वादी द्वारा जिरह की गई।

36 उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अभिभाषकगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि इन्तकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 को अवैध शून्य घोषित कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार वादियों को 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रतिवादिया कम 1 के कोई पुत्र नहीं था व हमेशा प्रतिवादिया के पास रहते थे, सेवा सुश्रषा से प्रसन्न होकर अपने जीवन काल में पिता पन्ना लाल द्वारा गांव के लोगों के

A

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

समक्ष वसीयत लिखी थी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त क्रिया कर्म व अन्य कार्य प्रतिवादिया के पति द्वारा किया गया था तथा इन्तकाल भी मजमे आम केम्प में खोला गया है। वादिया अपने पिता के जीवनकाल में जमीन लेने बाबत कोई वाद पेश नहीं किया और न ही मिलने आई। प्रतिवादी कम 1 का जवाबदावा मय प्रतिवाद स्वीकार कर वादिया का वाद खारिज किया जावे। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है। –

37 तनकी नम्बर 1 – आया वादनी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादनी के पक्ष में खोले गये इन्तकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 की वाद पत्र की मद नं. 3 के अनुसार अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाकर वादिया 1/2 हिस्से की खातेदार कृषक घोषित होकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बंटवारा करवा कर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा प्रतिवादिया कम 1 के पक्ष में खोले गये इन्तकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 को प्रभावशून्य किये जाने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। वादिया द्वारा साक्ष्य जिरह के दौरान भी प्रतिवादिया पिता के पास रहती थी तथा मृत्यु उपरान्त भी प्रतिवादिया द्वारा क्रियाकर्म किये गये। मृत्यु उपरान्त भी वादिया अपने पिता के क्रियाकर्म में नहीं गई। अतः तनकी नं. 1 विरूद्ध वादिया निर्णित की जाती है।

38 तनकी नम्बर 2– आया जवाबदावे एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं. 1 का वाद पर क्या प्रभाव है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादिया पर था। प्रतिवादिया पिता पन्नालाल के पास रहती थी। उनके कोई पुत्र नहीं था। पिता पन्ना लाल की सेवा सुश्रषा से प्रसन्न होकर जीवनकाल में ही लिखी ग्राम वासियान के समक्ष वसीयत लिखी गई थी, जिसका नामान्तरकरण मजमे आम में

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

जांच की जाकर केम्प के दौरान तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी का वाद पर प्रभाव है। इन्तकाल मजमे आम केम्प के दौरान पूर्ण जांच कर खोला गया है। जिसका प्रकाशन सफलता की कहानिया प्रशासन गांव के संग अभियान 2010–11 में हुआ है। अतः तनकी नं. 2 प्रतिवादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

39 उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।

40 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

41 यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2020 प्रकरण संख्या 4/2011 खिलाफ कानून एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों एवं साक्ष्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, राजस्व रेकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

42 यह कि अपीलांटा/वादनी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम कूण्डी की आराजी खसरा नम्बर 508 रकबा 0.37 हेक्टर जो खातेदार पन्ना पुत्र माधो, जाति काछी के खाते दर्ज थी, उसमें हिस्सा 1/2 के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिसमें मृतक पन्ना की दो पुत्रियां मांगी बाई व बादाम बाई होने से बराबर हक होने के आधार पर खातेदारी मांगी गई थी।

43 यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अपने हक में तथाकथित गैर कानूनी अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 15.10.2009 प्रस्तुत किये जाने के आधार पर उसके हक में खोला गया इंतकाल नं. 864 प्रमाणित दिनांक

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

13.12.2010 प्रमाणितकर्ता अधिकारी नायब तहसीलदार, अटरू को विश्वसनीय मानकर वादनी/अपीलांटा का वाद निरस्त फरमाया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

44 यह कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं गवाहान के बयानों एवं तनकीयात पर विस्तृत विवेचन नहीं किया जाकर मनमाना निर्णय पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

45 यह कि विवादित वसीयत अनरजिस्टर्ड थी जिसकी जांच तहसील कार्यालय में मुताबिक कानून किया जाना एवं दोनों प्रभावित पक्षकारों के बयान लिया जाना एवं गवाहों से उस वसीयत की पुष्टि कराया जाना भी आवश्यक था तथा इंतकाल जो खोला गया है वह पंचायत के सरपंच द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है तथा पंचायत से कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। इस आधार पर भी उक्त फोती इंतकाल खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

46 यह कि विवादित आराजी स्वअर्जित थी या नहीं थी। इस बाबत भी किसी प्रकार की जांच नहीं की गई, न रेकार्ड व प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध है। इस आधार पर भी वाद निरस्त किया जाना खिलाफ कानून है।

47 यह कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को होने पर जर्ये अधिवक्ता फैसले की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत किये जाने में करोना काल के दौरान अपीलांटा द्वारा अपील पेश नहीं की जा सकी। अपीलांट ने जानबूझ कर देरी नहीं की है। मियाद के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

48 यह कि माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

49 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2020 प्रकरण संख्या 04/2011 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांटा को हिस्सा 1/2 आराजी का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

50 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को होने पर जर्ये अधिवक्ता फैसले की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत किये जाने में करोना काल के दौरान अपीलांटा द्वारा अपील पेश नहीं की जा सकी। अपीलांट ने जानबूझकर देरी नहीं की है। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

51 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

52 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में नजीरे पेश की ।

1 2008 (1) डी. एन. जे. (राज.) पेज 85

53 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
न राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

एवं पदेन राजस्व ... ★ कोटा ★

54 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

55 अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों पन्नालाल की पुत्रियां हैं जो सगी बहने हैं। पन्नालाल की दिनांक 18.12.2009 को स्वर्गवास हो गई थी, प्रतिवादी की सेवा सुश्रषा से प्रसन्न होकर अपने जीवन काल में पिता पन्ना लाल द्वारा गांव के लोगों के समक्ष वसीयत लिखी थी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त क्रियाकर्म व अन्य कार्य प्रतिवादिया के पति द्वारा किया गया था तथा इन्तकाल भी मजमे आम केम्प में खोला गया है। वादिया अपने पिता के जीवनकाल में जमीन लेने बाबत कोई वाद पेश नहीं किया और न ही मिलने आई।

56 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो तनकी बनाई गई–

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

57 तनकी नम्बर 1 – आया वादनी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादनी के पक्ष में खोले गये इन्तकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 की वाद पत्र की मद नं. 3 के अनुसार अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाकर वादिया 1/2 हिस्से की खातेदार कृषक घोषित होकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बंटवारा करवा कर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारी है।

58 इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा प्रतिवादिया क्रम 1 के पक्ष में खोले गये इन्तकाल नं. 864 दिनांक 13.12.2010 को प्रभावशून्य किये जाने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। वादिया द्वारा साक्ष्य जिरह के दौरान भी प्रतिवादिया पिता के पास रहती थी तथा मृत्यु उपरान्त भी प्रतिवादिया द्वारा क्रियाकर्म किये गये। मृत्यु उपरान्त भी वादिया अपने पिता के क्रियाकर्म में नहीं गई। अतः तनकी नं. 1 विरूद्ध वादिया निर्णित की जाती है।

59 तनकी नम्बर 2– आया जवाबदावे एवं प्रतिवाद पत्र की विशेष आपत्तियों की मद नं. 1 का वाद पर क्या प्रभाव है।

60 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादिया पर था। प्रतिवादिया पिता पन्नालाल के पास रहती थी। उनके कोई पुत्र नहीं था। पिता पन्ना लाल की सेवा सुश्रषा से प्रसन्न होकर जीवनकाल में ही लिखी ग्राम वासियान के समक्ष वसीयत लिखी गई थी, जिसका नामान्तरकरण मजमे आम में जांच की जाकर केम्प के दौरान तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी का वाद पर प्रभाव है। इन्तकाल मजमे आम केम्प के दौरान पूर्ण जांच कर खोला गया है। जिसका प्रकाशन सफलता की कहानिया प्रशासन गांव के संग अभियान 2010–11 में हुआ है। अतः तनकी नं. 2 प्रतिवादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

61 इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किया है जो उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

62 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2020 यथावत रखा जाता है ।

63 निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा